सिक्किम विश्वविद्यालय
(स्थापित २००७)

सिक्किम विश्वविद्यालय

वित्त समिति की आई सी एस आर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 07.12.2013 को आयोजित ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण :

1.	**प्रो.टी.बी सुब्बा, उपकुलपति**	**अध्य**
2.	**श्री योगेन्द्र त्रिपाठी (विजिटर द्वारा नामित)**	**सदस्य**
3.	**डॉ0(श्रीमती) रेणु बत्रा (विजिटर द्वारा नामित)**	**सदस्य**
4.	**श्री सोनम वांग्डी (ई सी द्वारा नामित)**	**सदस्य**
5.	**श्री एम जी किरण (ई सी द्वारा नामित)**	**सदस्य**
6.	**प्रोफेसर अशोक के दत्ता (ई सी द्वारा नामित)**	**सदस्य**
7.	**श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार**	**विशेष आमंत्रित**
8.	**श्री डी कानुनज, सलाहकार (वित्त)**	**सचिव**

डॉ0 डी के पालीवाल, उपसचिव (सी यू), एम एच आर डी ने श्री ए के सिंह (विजिटर द्वारा नामित) सदस्य का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री सी तालुकदार, उपरजिस्ट्रार (वित्त) ने समिति की सहायता की ।

बैठक का कोरम पूरा होने के बाद अध्यक्ष द्वारा बैठक को व्यवस्थित घोषित किया गया । समिती ने श्री अर्जुन स्यांगदेन दिन के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया, जिन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य अपरिहार्य व्यस्तताओं के कारण समिति से कार्यमुक्ति चाहा था, तथा इस समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रति अमूल्य अवदान किया था ।समिती ने श्री योगेंद्र त्रिपाठी, विजिटर द्वारा नामित एवं प्रोफेसर अशोक के दत्ता, आई आई के प्रथम निदेशक, शिलांग तथा समिति में श्री अर्जुन स्यांग्देन के स्थान पर नामित का भी स्वागत किया, जो की व्यक्तिगत रुप से बैठक में प्रथम बार भाग ले रहे थे ।समिति ने आगे प्रोफेसर दत्ता को हॉल में पूर्वोत्तर परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर भी बधाई दी ।

समिति द्वारा कार्य सूची को मदवार एक एक करके आगे बढ़ाया गया।

एफ सी: 11:01	वित्त समिति की दिनांक 03.03.2013 को आयोजित 9वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यसूची

दिनांक 03.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को समिति द्वारा पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

यह रिपोर्ट की गई दिनांक 03.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन सदस्यों के बीच दिनांक 13.03.2013 को किया गया था । किसी सदस्य के कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण, समिति ने इसकी पुष्टि कर ली ।

एफ सी: 11:02	वित्त समिति की दिनांक 03.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यसूची

दिनांक 03.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट समिति के समक्ष इनके विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई ।

कार्यवृत्त

पूर्ववर्ती बैठक में लिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का पैरा-वार विवरण प्रस्तुत किया गया । समिति ने इसे नोट किया ।

[रिपोट की जाने वाली मदें]

एफ सी: 11:03	जून एवं सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही हेतु अनुदानों के उपभोग पर रिपोर्ट

कार्यसूची

यू जी सी के दिनांक 29.12.2013 के पत्रांक एफ 1-1/2012(सी यू) के अनुसार इन्हें प्रस्तुत किया गया उपभोग प्रमाण पत्र वित्त समिति की अगली बैठक में इनके सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना है । तदनुसार, जून 2013 एवं सितम्बर 2013 को समाप्त तिमाही हेतु उपभोग प्रमाण पत्र सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों के उपभोग की प्रगति को नोट किया गया ।

एफ सी: 11:04	भुगतान मानदंड

कार्यसूची

परीक्षा विभाग विभिनन संबंधित कार्यों के लिए भुगतान करता एवं प्राप्त करता है । यद्यपि इसे न तो वैचारिक रूप से वितरित किया गया था औन न ही इसपर वित्त समिति में कभी विचार किया गया था । शैक्षाणिक परिषद द्वारा अपनी दिनांक 13.11.2013 की बैठक में यथा विचारित प्रस्तावित भुगतान मानदंड विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद द्वारा विचार किए गए विभिन्न परीक्षा संबंधित कार्यों के लिए भुगतान मानदंड कार्यकारी परिषद द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया । समिति ने विश्वविद्यालय कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा किया कि विश्वविद्यालय की सारणी पर स्थित शिक्षकों द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों के एक अंश के रुप में ऐच्छिक रुप से किया जाएगा।

[संपुष्टि हेतु मदें]

एफ सी: 11:05	वित्त समिति की 10वीं बैठक के निर्देश (परिचालन द्वारा)

कार्यसूची

वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 10 अगस्त 2013 को अधिसूचित थी । दार्जिलिंग में आंदोलन के चलते संचार विच्छेद के कारण बाहय स्थानिक सदस्यों के लिए भाग लेना संभव नहीं था । यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि उन अनिवार्य विषयों की सदस्यों की अभ्युक्ति हेतु अगली बैठक में इसकी संपुष्टि किए जाने की शर्त पर परिचालित किया जाए, जिन पर कार्यकारी परिषद की 19 अगस्त 2013 को आयोजित की जाने वाली बैठक में तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता थी । तदनुसार, निम्नलिखित विषयों पर सदस्यों की राय

कार्यकारी परिषद में इन्हें प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राप्त की गई थी । इन मदों पर कार्यकारी परिषद के निर्देशनों की प्रतियों सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत की गई थी ।

कार्यसूची		ई सी द्वारा अनुमोदन
(i)	निम्न हेतु भवन समिति की अनुशंसाएं: (क) बाउन्ड्री वाल का निर्माण (ख) आर्कीटेक्चरल डिजाईन हेतु दिलचस्पी की अभिव्यक्ति का आमंत्रण	इन विषयों पर भवन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया
(ii)	XII योजना गैर शिक्षण पदों का निर्माण	ई सी द्वारा निम्नलिखित पदों के निर्माण का अनुमोदन किया गया: (क) सहायक ईंजीनियर (ख) कनिष्ठ ईंजीनियर (सिविल) (ग) कनिष्ठ ईंजीनियर (विद्युत) (घ) सुरक्षा आधिकारी
(iii)	वार्षिक लेखाएं 2012-13	लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र हेतु ई सी द्वारा अनुमोदित
(iv)	XII योजना अनुदान का आवंटन	ई सी द्वारा अनुमोदित

कार्यवृत्त

यह नोट किया गया कि समिति की 10वीं बैठक दार्जिलिंग के पड़ोसी क्षेत्र में असामान्य परिस्थिति के कारण आयोजित नहीं की जा सकी , जिसके लिए विश्वविद्यालय किन्हीं मदों पर व्यक्तिगत सदस्यों की राय परिचालन द्वारा प्राप्त करने के लिए बाध्य था । महत्वपूर्ण पदों पर परिचालन द्वारा प्राप्त सदस्यों के निर्देशन की विचार-विमर्श के पश्चात संपुष्टि की गई थी ।

[अनुमोदनार्थ मदें]

एफ सी: 11:06	भवन समिति की अनुशंसाएं

कार्यसूची

विश्वविद्यालय की भवन समिति, यूजीसी मापदंड के अनुसार गठित, द्वारा दिनांक 20.04.2013, 26.06.2013 एवं 31.10.2013 को तीन बैठकें आयोजित की गई । इन बैठकों के कार्यवृत्त विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

कार्यवृत्त

अध्यक्ष द्वारा यांग्यांग में निर्मित किए जा रहे कैंपस के बारे में हुई प्रगति की सदस्यों को अध्यतन जानकारी दी गई । सदस्यों ने इन गतिविधियों को नोट किया तथा भवन समिति द्वारा उनकी दिनांक 20.04.2013, 26.06.2013 एवं 31.10.2013 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं पर अनुमोदन प्रदान किया । यह निश्चित किया गया कि निर्माण आदि के लिए एक एक प्रस्तावों को वित्त समिति के अनुमोदनार्थ उसी प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया है ।

एफ सी: 11:07	वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक लेखाएं

कार्यसूची

विश्व विद्यालय की वर्ष 2012- 13 हेतु वार्षिक लेखाओं का निर्माण एवं अनुमोदन दिनांक 12-6-2013 को किया, जिसे पटल पर प्रस्तुत किया गया । इन लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा 8 से 26 जुलाई 2013 के दौरान संचालित की गई । ए.जी (लेखा परीक्षा) सिक्किम की रिपोर्ट दिनांक 12. 11. 2013 को प्राप्त हुई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

समिति ने नोट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी लेखापरीक्षाकृत वार्षिक लेखाएं 2012-13 एमएचआरडी के प्रति समय से प्रस्तुत की गई, ताकि वे इन्हें संसद के शरद सत्र में रख सके तथा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की । इसने आगे इच्छा व्यक्त की कि महालेखाकार के प्रबंधन पत्र की प्रति, यदि कोई हो, एवं वर्ष 2013- 14 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों सहित को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

एफ सी: 11:08	उन कर्मचारियों को एक बार प्रोत्साहन, जिन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण काल में संवीदा आधार पर सेवाएं दी है ।

कार्यसूची

विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी दिनांक 27-12-2010 को आयोजित आठवीं बैठक में गैर शिक्षण कर्मचारियों (नियमित आधार पर भर्ती) के प्रति दिनांक 1.01.2011 से लागू हो कर कर्मचारियों के प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध निर्धारित सीमा तक किराया समर्थन विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था । यह समर्थन उप रजिस्ट्रार हेतु रूपये 4000, सहायक रजिस्ट्रार हेतु रूपये 3000, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक हेतु रू0 2500 तथा यूडीसी एवं एलडीसी हेतु रुपये 1000 तक सीमित था । बाद में उप कुलपति ने दिनांक 10.10.2011 को इस लाभ को शिक्षण कर्मचारियों को भी विस्तारित करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया । तदनुसार प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर को क्रमश: रूपये 5300, रू0 4800 एवं रु0 3000 पर अवदान का बैंड दिनांक 1.1.2011 से पूर्व प्रभावी तौर पर उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया । पति पत्नी दोनों के विश्वविद्यालय में नियोजन के मामले में किराया समर्थन की राशि को शिक्षकों की संबंधित श्रेणी हेतु रुपये 10600, रूपये 9600 एवं रुपये 6000 में बढ़ाया जाना था । किराए पर लिए गए भवनों के लिए उचित किराया निर्धारण में सीपीडब्ल्यूडी को संलग्न किया जाएगा । यद्यपि, उपकुलपति के इस निर्णय को वित्तीय कार्यकारी परिषद की प्रथम बैठक में संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाने में चुक हुआ था ।

वर्तमान में इन आदेशों द्वारा 26 शिक्षण, 3 संविदाकृत एवं दो गैर शिक्षण कर्मचारियों को व्यापत किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता रु0 13.38 लाख प्रतिवर्ष है । त्रिपक्षीय अनुबंध में प्रदेशार्थी अन्य 27 कर्मचारियों के आवेदन पत्र , जिसमें 10.14 लाख प्रतिवर्ष का खर्च संलग्न है, लंबित है । विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद ने अपनी दिनांक 13.11.2013 की बैठक में यह निर्देश दिया कि मामले को वित्त समिति की राय एवं अनुशंसा प्राप्त करने के बाद कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पर विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

कार्यवृत्त

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सदस्यों ने कार्यसूची के मद को वापस लेने का निर्णय लिया ।

एफ सी: 11:09	**नए वाहनों की खरीद**

कार्यसूची

वित्त समिति की दिनांक 03.03.2013 को आयोजित 9वीं बैठक में विश्वविद्यालय को कार्यालयी उपयोग हेतु नए वाहनों की खरीद के लिए समग्र प्रस्ताव एम एच आर डी को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया था । तदनुसार, दिनांक 25.03.2013 की पत्र संख्या एस यू/2010/टी आर ए एन-17/हायर-01/विविध -996/690-996/690/2512 के तहत एम एच आर डी को एक प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था ।

कार्यालयी उद्देश्यों के लिए वाहनों की खरीद की वांछनीयता, जो कि पत्र के साथ संलग्न लागत हितकारी विश्लेषण द्वारा यथानिर्धारित लागत प्रभावकारी भी है, ने गंगटोक से यांग्यांग के बीच पहाड़ी रास्तों में आवागमन हेतु वर्धित जरूरतों की दृष्टि से पर्याप्त महत्व हासिल कर लिया था, जहां कैंपस भवन परियोजना कार्य प्रगति पर था । यू जी सी द्वारा विश्वविद्यालय के लिए पांच ड्राइवरों का पद अनुमोदित किया गया है । यू जी सी ने दिनांक 17 मार्च 2009 के अपने पत्र संख्या एफ 24-36/2009 (सीयू) के तहत, अन्य बातों के अलावा, सभी नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उपकुलपति, वित्त अधिकारी एवं रजिस्ट्रार के कार्यालीय उपयोग हेतु एक बार की व्यवस्था के रूप में वाहन खरीद हेतु अनुमति प्रदान किया है । वर्ष 2007 में स्थापित सिक्किम विश्वविद्यालय ने इसका पूर्व में उपभोग नहीं किया, क्योंकि स्व-स्वामित्व वाहनों का प्रचालन लागत समिति गतिविश्धि के कारण किराए के वाहनों की अपेक्षा अधिक होती । चूंकि प्रचालकता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है विश्वविद्यालय इसका उपभोग करना चाहता है तथा उपकुलपति के लिए एक मिडियम वेट वाहन तथा रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी प्रत्येक के लिए एक एक, दो लाइट वेट वाहन खरीदना चाहता है ।

आगे, विश्वविद्यालय को अपने स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक एम्बुलेंस की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि गंगटोक के विभिन्न भागों में अवस्थित विभिन्न छात्रावासों में छात्रों के लिए आपातकालिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता विषम क्षणें में पड़ती रहती है एवं प्राय: अस्पतालों में स्थानांतरित किए जाने की जरूरत पड़ती है । गंगटोक में निजी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं है । ऐंबुलेंस सेवा की आवश्यकता उस समय भी पड़ेगी, जब भविष्य में विश्वविद्यालय अपने कैंपस में स्थानांतरित हो जाता है । इन वाहनों की खरीद पर संलग्न कुल लागत रू0 30 लाख बीमा एवं पंजीकरण सहित आकलित किया गया है ।

कार्यवृत्त
समिति ने कार्यालयी उपयोग हेतु वाहनों की खरीद से लाभ एवं प्रभावकारिता की प्रशंसा की । यद्यपि, वाहनों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को एक बार पुन: एम एच आर डी से अनुमति हेतु प्रयास करने का निदेश दिया ।

विचार विमर्श हेतु अन्य कोई विषय नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित हुई।

श्री डी कानुनज्ञ	**प्रो0 टी बी सुब्बा**
सचिव	**अध्यक्ष**